न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 26/2020 G.C.M.S. No. 2020/00077 दर्ज दिनांक : 03.06.2020

अपीलार्थी:

1. पदमाराम पुत्र किशनाजी, जाति पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. पोकरराम पुत्र स्वर्गीय कसीया उर्फ किशनाराम, जाति पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।
2. मृतक भीमाराम पुत्र स्वर्गीय कसीया उर्फ किशनाराम, जाति पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली के कायम मुकामः–
   2/1 नाथाराम पुत्र भीमाराम
   2/2 गणेश पुत्र भीमाराम
   2/3 विक्रम पुत्र भीमाराम
   2/4 खम्मा बेवा भीमाराम
   2/5 अंजू पुत्री भीमाराम, जातिगण पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।
3. अमराराम पुत्र स्वर्गीय कसीया उर्फ किशनाराम
4. सकुदेवी बेवा स्वर्गीय कसीया उर्फ किशनाराम
5. गोपी पुत्री स्वर्गीय कसीया उर्फ किशनाराम
6. मोडाराम पुत्र मादाजी
7. दूदाराम पुत्र मादाजी
8. लक्ष्मणराम पुत्र किशनाराम, जातिगण पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।
9. दुर्गाराम पुत्र किशना
10. मृतक राजाराम पुत्र किशना, जातिगण पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली के कायम मुकामः–
    10/1 पानी बेवा राजाराम
    10/2 ओमाराम पुत्र राजाराम
    10/3 जबराराम पुत्र राजाराम
    10/4 गोविंदराम पुत्र राजाराम
    10/5 महेन्द्र पुत्र राजाराम
    10/6 प्रकाश पुत्र राजाराम
    10/7 दाकुदेवी पुत्री राजाराम
    10/8 पुष्पादेवी पुत्री राजाराम, जातिगण पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।
11. मांगीलाल पुत्र पूनम
12. वक्ताराम पुत्र पूनम
13. भीमाराम पुत्र पूनम
14. हिरीदेवी पुत्री पूनम
15. वीरीदेवी पुत्री पूनम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

16. प्रवीण पुत्र राजाराम
17. धापू पुत्री राजाराम
18. मीरा पुत्री राजाराम
19. रामाराम पुत्र धन्नाराम, जातिगण पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।
20. वागसिंह पुत्र भोपालसिंह
21. प्यारसिंह पुत्र भोपालसिंह
22. राजूसिंह पुत्र भोपालसिंह
23. रामसिंह पुत्र भोपलसिंह
    चुन्नीलाल पुत्र भोपालसिंह
24. हमीरसिंह पुत्र भोपालसिंह
25. नारायणीदेवी पत्नि जबरसिंह
26. शेरसिंह पुत्र जबरसिंह
27. जितेन्द्रसिंह पुत्र जबरसिंह
28. शंकरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, जातिगण राजपुरोहित, निवासी ग्राम बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।
29. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2015 बअनवान पोकरराम वगैरह बनाम पदमाराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.06.2016 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकारः—

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांकः 29.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2015 बअनवान पोकरराम वगैरह बनाम पदमाराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 8 ने अपीलांट व शेष रेस्पोंडेंट के विरूद्ध एक वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम बिठू, तहसील रोहट के खसरा नंबर 257/1, 257/2, 257/5 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नंबर 257/4 रकबा 32 बीघा एवं खसरा नंबर 257/3 रकबा 63 बीघा 4 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने के पूर्व वादग्रस्त आराजी के बंटवाड़े के वाद में आवश्यक पक्षकारान तमाम सहखातेदार को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस नहीं दिया गया एवं न ही जवाब शहादत सुनवाई का अवसर दिया, जो अदालत मातहत के समक्ष पेश वाद में सादिर आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है। जबकि बंटवाड़ें के वाद में वादग्रस्त आराजी के तमाम सहखातेदारान का इंच–इंच हिस्से की भूमि में हक–हिस्सा कानूनन होता है, जिस प्रत्येक खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना आंशिक खातेदारान् की ओर से शून्य एवं नाजायज आंशिक सहमति जवाबदावा अपीलाण्ट के फर्जी हस्ताक्षरसुदा के आधार पर समस्त खातेदार के मध्य बंटवाड़ा निस्बत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु अदालत मातहत कानूनन न तो अधिकृत थी एवं न बाध्य होती हैं। जिस कानून की अहम स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अदालत मातहत द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। साथ ही अदालत मातहत द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री अपीलाण्ट को बिना नोटिस दिये पत्रावली को न्याय आपके द्वारा कैम्प बिठू में बिना सूचित किये अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में शून्य आंशिक सहमति जवाबदावा पर फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर एवं वादग्रस्त आराजी के तमाम सहखातेदारान को बिना नोटिस दिये पारित की गई हैं। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। जिसके विरूद्ध म्याद लागू नहीं होती हैं। ऐसे निर्णय की जानकारी होने पर कभी भी चुनौती दी जाकर निरस्त करवाया जा सकता है, ऐसी कानून की मंशा है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पारित की गई हैं। जिससे उक्त निर्णय का ज्ञान अपीलाण्ट को अन्दर अवधि नहीं हो सका। दिनांक 30.05.2020 को रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 लगायत 08 वादग्रस्त आराजी में बने अपीलाण्ट के मकान पर आये तथा मकान का कब्जा छोड़ने को कहा तथा यह भी कहा कि वादग्रस्त जमीन का बंटवाड़ा एस.डी.ओ. कोर्ट से निर्णय दिनांक 01.06.2016 व 15.05.2017 को हमारे हक में हो गये हैं, जिस पर अपीलाण्ट अपना अधिवक्ता नियुक्त कर दिनांक 01.06.2016 को एस.डी.ओ. कोर्ट, रोहट जाकर वकील मार्फत उक्त निर्णय मय डिक्रियां दिनांक 01.06.2016 व 15.05.2017 मय सम्पूर्ण पत्रावली की नकलों हेतु आवेदन कर दिनांक 02.06.2020 को उक्त तमाम नकलें प्राप्त कर उक्त नकलों को पढ़ाने पर अपीलाण्ट को उक्त निर्णय दिनांक 01.06.2016 व 15.05.2017 की पूर्ण रूप से जानकारी दिनांक 02.06.2020 को ही हुई। तत्पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई। म्याद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट्स पोकरराम वगैरह द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बंटवाड़ा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2016 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादी द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 03.06.2020 को प्रस्तुत की गई। जो विलंबकाल से प्रस्तुत हुई। विंलबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री अपीलाण्ट को बिना नोटिस दिये पत्रावली को न्याय आपके द्वारा कैम्प बिठू में बिना सूचित किये अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में शून्य आंशिक सहमति जवाबदावा पर फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर एवं वादग्रस्त आराजी के तमाम सहखातेदारान को बिना नोटिस दिये पारित की गई हैं। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। जिसके विरूद्ध म्याद लागू नहीं होती हैं। ऐसे निर्णय की जानकारी होने पर कभी भी चुनौती दी जाकर निरस्त करवाया जा सकता है, ऐसी कानून की मंशा है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पारित की गई हैं। जिससे उक्त निर्णय का ज्ञान अपीलाण्ट को अन्दर अवधि नहीं हो सका। दिनांक 30.05.2020 को रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 लगायत 08 वादग्रस्त आराजी में बने अपीलाण्ट के मकान पर आये तथा मकान का कब्जा छोड़ने को कहा तथा यह भी कहा कि वादग्रस्त जमीन का बंटवाड़ा एस.डी.ओ. कोर्ट से निर्णय दिनांक 01.06.2016 व 15.05.2017 को हमारे हक में हो गये हैं, जिस पर अपीलाण्ट अपना अधिवक्ता नियुक्त कर दिनांक 01.06.2016 को एस.डी.ओ. कोर्ट, रोहट जाकर वकील मार्फत उक्त निर्णय मय डिक्रियां दिनांक 01.06.2016 व 15.05.2017 मय सम्पूर्ण पत्रावली की नकलों हेतु आवेदन कर दिनांक 02.06.2020 को उक्त तमाम नकलें प्राप्त कर उक्त नकलों को पढ़ाने पर अपीलाण्ट को उक्त निर्णय दिनांक 01.06.2016 व 15.05.2017 की पूर्ण रूप से जानकारी दिनांक 02.06.2020 को ही हुई। तत्पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई।

2. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 01.06.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा अपीलांट की उपस्थिति तथा हस्ताक्षर आदेशिका पर अंकित है। अतः अपीलांट को दिनांक 01.06.2016 से ही अपीलाधीन डिक्री की जानकारी थीं। तत्पश्चात प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा मौके पर विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.11.2016 को तैयार किया गया। जिसकी मौका फर्द पर भी अपीलांट के हस्ताक्षर है। इस

राजस्व अपील प्राधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार अपीलांट को दिनांक 01.06.2016 से ही अपीलाधीन डिक्री की भलीभांति जानकारी थीं। जिसके बावजूद अपीलांट द्वारा लगभग 4 वर्ष विलंब से अपील प्रस्तुत की गई हैं तथा कोई कारण व आधार अपीलांट ने प्रस्तुत नहीं किए। अतः विलंब माफ किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। प्रार्थना पत्र खारिज कर अपील म्याद बाहर होने से खारिज फरमावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि दिनांक 01.06. 2016 की अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर है तथा उपस्थिति दर्ज है। साथ ही अपीलांट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र से सहमति प्रकट की गई तथा दिनांक 01.06.2016 को अपीलाधीन डिक्री पारित की गई। जो अपीलांट की उपस्थिति में पारित होना निर्विवाद है। साथ ही प्राथमिक डिक्री की पालना में तैयार विभाजन प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 15.11.2016 पर भी अपीलांट के हस्ताक्षर है। इस प्रकार यह सुस्थापित व निर्विवाद है कि अपीलांट को अपीलाधीन डिक्री दिनांक 01.06.2016 की आरंभ से ही बखूबी जानकारी थीं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री किस प्रकार से आरंभतः शून्य है, इस संबंध में अपीलांट द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा जवाबदावे में वादपत्र का समर्थन किया है तथा सहखातेदारान के भू-अभिलेख में दर्ज हिस्से के संबंध में कोई आक्षेप नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा लगभग 4 वर्ष अर्थात 1460 दिवस के अत्यंत दीर्घ विलंब के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई हैं तथा विलंब के लिए कोई युक्तियुक्त, सद्भाविक व स्वीकार्य कारण दर्शित नहीं किए हैं। जबकि विलंबकाल के लिए एक-एक दिवस के लिए युक्तियुक्त व सद्भाविक कारण दर्शित करना आज्ञापक है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

4. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :-

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.

2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.

3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

5. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से **1460 दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **1460 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर [illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner